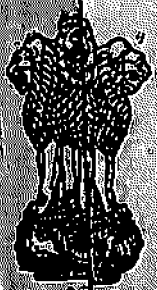

२ संख्या १

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

बुधवार, तिथि २८ जनवरी, १९५३ ।

Vol. II. No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report.

Wednesday, the 28th January, 1953.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,

मूल्य—६ आने]
Price—Annas 6.]

बिहार विधान सभा वादवृत्त।

तिथि २४ फरवरी, १९५३

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि २४ फरवरी, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Question and Answer.

हरिजनों पर अत्याचार।

३१। श्री महावीर प्रसाद—क्या मंत्री, हरिजन (कल्याण) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि पटना जिला स्थित, अस्थामा थाना के अलीपुर के हरिजनों पर उस ग्राम के कछ निवासियों द्वारा अत्याचार सम्बन्धी दरखास्त तथा टेलीग्राम मंत्री, हरिजन कल्याण विभाग के पास हाल ही में दिया गया था;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो अब तक सरकार ने उस दरखास्त पर कौन-सी कार्रवाई की है?

श्री भोला पासवान—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है। टेलीग्राम नहीं आया था, दर्खास्त आयी थी।

(ख) उस दर्खास्त को जिला अफसर, हरिजन कल्याण विभाग के पास जांच-पड़ताल करने के लिये भेजा गया और यह आदेश दिया गया कि उस पर उचित कार्रवाई की जाये और कल्याण विभाग के पास रिपोर्ट भेज दी जाये। उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आयी है।

श्री पशुपति सिंह—जो दर्खास्त आयी है उसमें किस किस्म के अत्याचार का जिक्र है?

अध्यक्ष—जब रिपोर्ट आयेगी तब यह प्रश्न फिर उपस्थित होगा।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

कृषि-जांच समिति।

*२६५। श्री रामसुन्दर तिवारी—क्या मंत्री, कृषि-विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या बिहार राज्य में कृषि-जांच समिति एक गैर-सरकारी समिति गठन की गयी है, यदि हां, तो उस समिति के कौन-कौन सज्जन सदस्य हैं और इस समिति का क्या काम है;

(ख) क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग में इतने काफी ऑफिसर हैं जिन्हें कोई काम नहीं है और इसके मद में हर साल काफी रुपये खर्च होने हैं?

श्री बीरचन्द पटेल—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है। समिति नियुक्त करने वाली संकल्प की एक प्रति पुस्तकालय के मेज पर रख दी गयी है।

(ख) उत्तर नकारात्मक है।

(*d*) whether it is a fact that the constituencies for General Elections have been allocated finally ;

(*e*) when the next General Election of the District Board is going to be held ?

Shri BHOLA PASWAN : (*a*) The answer is in the affirmative.

(*b*) The answer is in the affirmative.

(*c*) With the introduction of adult franchise for election to a District Board an increase in the number of seats in electoral circles is being recarved and seats are being re-allotted. The question of meeting the increase in the cost of election is also under the consideration of Government. Pending the General Election of the Board, by-elections have not been held so far.

(*d*) The answer is in the negative.

(*e*) No date has been fixed for General Election of the District Board as yet.

श्री अन्नदा प्रसाद चक्रवर्ती—हम जानना चाहते हैं कि बाइ-एलेक्शन क्यों पोस्टपोन्ड हुआ ?

श्री भोला पासवान—एडल्ट फ्रेन्चाइज पर एलेक्शन करने का निश्चय किया गया। मोटर लिस्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ। उसके साथ-साथ हमने देखा कि तमाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एलेक्शन होने वाला है अतः १-२ सीटों के लिए यह काम रोक रखा गया।

श्री अन्नदा प्रसाद चक्रवर्ती—जेनरल एलेक्शन के लिये कॉन्स्टीचुएन्सीज डिवाइड हुआ या नहीं ?

श्री भोला पासवान—यह सरकार के विचाराधीन है।

ELECTION OFFICE UNDER STATE GOVERNMENT.

*457. **Shri ANNADA PRASAD CHAKRAVARTY** : Will the Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that an election office is maintained by the State Government at Patna permanently ;

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative, why local bodies like the District Boards, Municipalities and Gram Panchayats should spend a lot of money over printing separate lists of voters instead of obtaining copies from the State Election office ?

Shri BHOLA PASWAN : (*a*) The answer is in the affirmative.

(*b*) The District Board and the Municipal Election rules have already been partially amended to allow the local bodies to make use of the rolls of the Legislative Assembly for the purpose of holding

their own elections. It is also intended to make changes in rules for both District Boards and Municipalities under which the existing rolls of the Legislative Assembly can be used for the purpose of election without any amendment. The question of adopting the voters' list of the Legislative Assembly for the purpose of election in Gram Panchayat has not yet been considered.